न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 135/2020 जिला सीकर ।

श्रीमती कमला देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम बन्धा की ढाणी तन नृसिंहवाला पुलिस थाना पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलान्ट्

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 12.10.2020 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सी.पी.बलाई।
2. रेस्पोडेंट की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–24.08.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.10.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 23.12.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा ग्राम नृसिंहपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1159/2 रकबा 0.20 है0 में से प्रस्तावित रकबा 0.20 है0 गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, जमाबंदी एवं ग्राम पंचायत न्यौराना के प्रस्ताव की नकल की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 पारित कर ग्राम नृसिंहपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1159/2 रकबा 0.20 है0 में से प्रस्तावित रकबा की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 12.10.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट् स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.10.2020 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट् एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच के पत्र पर ही बिना ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिये बिना किसी पीडित पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर ही प्रस्ताव बनाकर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राज्य सरकार का परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 केवल मात्र खातेदारी भूमि के प्रचलित रास्तो के संबंध में है ना कि नये रास्ते कायम करने के संबंध में है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट् की विधिक तामील ही नही करवाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव बनाते समय मौके का ध्यान पूर्वक अवलोकन नही कर बिना भूमि के अपीलांट् को सूचना व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

को प्रस्तुत की थी उसके साथ ना तो फर्द मौका संलग्न किया गया ना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 12.10.2020 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.10.2020 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 02.12.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम नृसिंहपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1159/2 रकबा 0.20 है0 के खातेदारो की भूमियों में से होकर प्रचलित रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का डोकन, नजरी नक्शा, जमाबन्दी एवं ग्राम पंचायत न्यौराना के प्रस्ताव की नकल की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 10.09.2020 के अनुसार ग्राम नृसिंहपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1159/2 रकबा 0.20 है0 में से 0.03 है0 रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, जमाबंदी व ग्राम पंचायत न्यौराना के प्रस्ताव दिनांक 05.02.2020 की प्रति संलग्न कर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 पारित किया गया है। तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 10.09.2020 में भी अंकित किया गया है कि ग्राम ग्राम नृसिंहपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1159/2 रकबा 0.20 है0 में से प्रचलित रास्ता है। पुराने प्रचलित रास्ते को राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा दिये गये निर्देश की अनुपालना में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की गई है। भूमि के खातेदारी अधिकारो में कोई परिवर्तन नही किया गया है। काफी अर्से से खेती नही किये जाने के कारण तथा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि को किस्म परिवर्तन कर वार्षिक अभिलेखो में दर्ज किया जाना राजस्व अधिकारी का कर्तव्य है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई सारभूत विधिक त्रुटि कारित किया जाना नही पाया जाता है तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

24/8/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/8/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner